

राजस्थान सरकार (73)
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.2(85)नविवि/उदयपुर/2016

जयपुर, दिनांक :-

6 OCT 2017

आदेश

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 में दिनांक 02.05.2012 को जोड़ी गई धारा 90-ए (7)(बी) में निम्न प्रावधान है :-

वह भूमि धारा 102-क अधीन स्थानीय प्राधिकारी के अध्याधीन रखी गई समझी जायेगी और स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि के अधीन बनाए रखे गये विनियमों या उपविधियों के अनुसार किसी भी अनुज्ञेय गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये स्थानीय प्राधिकारी को उपधारा (4) के अधीन सहायकी और वसूलीय नगरीय निर्धारण या प्रीमियम या दोनों के संदाय के अध्याधीन रहते हुए, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति को, जिसको इस धारा के अधीन अनुज्ञा प्रदान की गई है या ऐसे व्यक्ति के उत्तराधिकारी (Successor) समनुदेशिती (Assignees) या अन्तरिती (Transferees) को आवंटन के लिये उपलब्ध होगी।

उक्त प्रावधानों के कम में दिनांक 28.06.10 को जारी टाउनशिप पॉलिसी की अधिसूचना क्रमांक दिनांक 28.06.10 के बिन्दू संख्या 12(i), (ii) में निम्न प्रावधान किया गया है:-

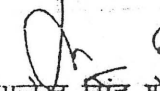
- (i) " First patta or lease deed can be issued to the khatedar/developer or to the nominees of the khatedar/developer, however in the projects of group housing/commercial/institutional etc. Single patta may be given to the khatedar/developers or his nominee at his choice.
- (ii) The developer of the residential scheme shall submit the list of "Nominees" on his own or through resistered power of attorney holder. As per list given, ULB shall issue the patta in favour of such nominee/nominees. "

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए (7)(बी) के अन्तर्गत मूल खातेदार/खातेदारों द्वारा न्यास में व्यक्तिगत उपस्थित होकर उत्तराधिकारी, समनुदेशिती, हस्तान्तरिती (Successor, Assignees, Transferees), के हक में आदेश क्रमांक प. 3(43)नविवि/03/09 दिनांक 25.02.2009 के साथ संलग्न प्रपत्र-द भरकर प्रस्तुत कर प्रोविजनल आवंटन पत्र एवं पट्टाविलेख (लीज डीड) जारी करने हेतु सहमति सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। उन प्रकरणों में पट्टा विलेख जारी किये जाने के समय मूल खातेदार को जिसने समनुदेशिती (Assignees) के पक्ष में प्रपत्र-द भरकर प्रस्तुत किया है के व्यक्तिगत उपस्थित होने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।

अतः जिन प्रकरणों में मूल खातेदार द्वारा उत्तराधिकारी, समनुदेशिती, हस्तान्तरिती (Successor, Assignees, Transferees), के हक में प्रपत्र-द निष्पादित कर दिया है, उनमें मूल खातेदार को उपस्थित होने की बाध्यता नहीं लगाकर नियमानुसार प्रभावी नियमों एवं प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पट्टा विलेख (लीज डीड) जारी करने की कार्यवाही करावें। अगर किसी प्रकरण में कोई शिकायत आयी हो या प्रपत्र-द की वैधानिकता के बारे में कोई संदेह हो तो अखबार में विज्ञप्ति जारी कर आपत्ति मॉग कर समुचित कार्यवाही की जावें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(राजेंद्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

(178)